14 (4) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

सचिव समिति ने तारीख 31.10.81 को हुई अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि लोक उद्यम ब्यूरो/कार्मिक विभाग द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से ऐसे उपक्रमों का, उनके निगमन के तरीके पर ध्यान दिए बिना, पता लगाने का काम शुरू करें, जो सरकार के प्रभुत्वसंपन्न कार्य और सुरक्षा, बचाव आदि जैसे अन्य आवश्यक सेवाएं कर रहे हैं ताकि उनके कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों पर जनहित में समुचित प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा सके।

2. गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया, जिनकी राय थी कि यह नियोक्ता पर निर्भर है कि परिस्थितियों की बाध्यताओं के अनुसार जहां तक ऐसे प्रतिबंध युक्तियुक्त, उचित हों और घोर अनुचित न हो, कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से कार्यकारी नीति लागू करें।

3. ऐसे उपाय को, जिससे सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों को उपर्युक्त ढंग से सीमित किया जा सकता हो, अयुक्तियुक्त अथवा अनुचित नहीं माना जा सकता है। इसलिए विधि मंत्रालय का यह विचार है कि पूर्वोक्त प्रतिबंध लगाने पर कोई विधिक आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

4. गृह मंत्रालय द्वारा हमारे परामर्श से इस प्रकार का प्रयास किया गया है और आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित सरकारी उद्यमों की इस प्रयोजन से संवेदनशील उद्यमों के रूप में पहचान की गई है।

5. कर्मचारियों की निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों को यथास्थिति प्रामाणिक स्थायी आदेशों अथवा आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में संशोधन करके प्रतिबंधित किया जा सकता हैः–

(i) किसी राजनीतिक दल अथवा ऐसे संगठन का पदाधिकारी बनना जो राजनीति से जुड़ा हो;

(ii) राजनीतिक स्वरूप के किसी भी आंदोलन/दंगे–फसाद अथवा प्रदर्शन में हिस्सा लेना अथवा किसी भी रूप में सहायता करना;

(iii) किसी भी विधान मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में हिस्सा लेना;

(iv) किसी भी विधान मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी चुनाव में प्रचार करना।

6. यदि इस संबंध में आपके कोई विशेषाधिकार हों अथवा आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई अन्य उद्यम हों, जिनमें आप इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो कृपया, लोक उद्यम ब्यूरो को सूचना देते हुए गृह मंत्रालय (आई एस प्रभाग) से संपर्क करें।

(लोक उद्यम ब्यूरो का तारीख 21 जुलाई, 1984 का अ.शा. पत्र सं. 15(7)/83(जी.एम.)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

सचिव समिति ने तारीख 31.10.81 को हुई अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि लाक उद्यम ब्यूरो/कार्मिक विभाग द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से ऐसे उपक्रमों का, उनके निगमन के तरीके पर ध्यान दिए बिना, पता लगाने का काम शुरू करें, जो सरकार के प्रभुत्वसंपन्न कार्य और सुरक्षा, बचाव आदि जैसे अन्य आवश्यक सेवाएं कर रहे हैं ताकि उनके कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों पर जनहित में समुचित प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा सके।

2. गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया, जिनकी राय थी कि यह नियोक्ता पर निर्भर है कि परिस्थितियों की बाध्यताओं के अनुसार जहां तक ऐसे प्रतिबंध युक्तियुक्त, उचित हों और घोर अनुचित न हो, कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से कार्यकारी नीति लागू करें।

3. ऐसे उपाय को, जिससे सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों को उपर्युक्त ढंग से सीमित किया जा सकता हो, अयुक्तियुक्त अथवा अनुचित नहीं माना जा सकता है। इसलिए विधि मंत्रालय का यह विचार है कि पूर्वोक्त प्रतिबंध लगाने पर कोई विधिक आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

4. गृह मंत्रालय द्वारा हमारे परामर्श से इस प्रकार का प्रयास किया गया है और आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित सरकारी उद्यमों की इस प्रयोजन से संवेदनशील उद्यमों के रूप में पहचान की गई है।

5. कर्मचारियों की निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों को यथास्थिति प्रामाणिक स्थायी आदेशों अथवा आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में संशोधन करके प्रतिबंधित किया जा सकता हैः–

(i) किसी राजनीतिक दल अथवा ऐसे संगठन का पदाधिकारी बनना जो राजनीति से जुड़ा हो;

(ii) राजनीतिक स्वरूप के किसी भी आंदोलन/दंगे–फसाद अथवा प्रदर्शन में हिस्सा लेना अथवा किसी भी रूप में सहायता करना;

(iii) किसी भी विधान मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में हिस्सा लेना;

(iv) किसी भी विधान मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी चुनाव में प्रचार करना।

6. यदि इस संबंध में आपके कोई विशेषाधिकार हों अथवा आपके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई अन्य उद्यम हों, जिनमें आप इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो कृपया, लोक उद्यम ब्यूरो को सूचना देते हुए गृह मंत्रालय (आई एस प्रभाग) से संपर्क करें।

अनुलग्नक–I

प्रेषित का नाम	संबंधित कंपनी
1. श्री थोमस कोरा, सचिव, संचार मंत्रालय	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज
2. श्री एम.सी. सरीन, सचिव, रक्षा उत्पाद	भारत डायनैमिक्स लि. भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि. गार्डन रीचशिप बिल्डर्स ऐंड इंजीनियर्स लि. गोआ शिपयार्ड लि., हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि., मजगांव डॉक लि., मिश्रधातु निगम लि. और प्राग टूल्स लिमिटेड कुल (18)
3. श्री एस.बी. लाल, सचिव, कोयला विभाग	भारत कोकिंग कोल लि., सेंट्रल कोल फील्ड्स लि. कोल इंडिया लि., ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि., नई वेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कुल 6)
4. श्री ए.एस. गिल, सचिव, पैट्रोलियम विभाग	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पैट्रोकेमिकल्स लि., कोचीन रिफाइनरीज लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि., इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., मद्रास रिफाइनरीज लि. ऑयल ऐंड नैचुरल गैस कमीशन, ऑयल इंडिया लि. (कुल 9)
5. श्री प्रकाश नारायण, सचिव, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	कोचीन शिपयार्ड लि. और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. (कुल 2)
6. श्री लवराज कुमार, सचिव इस्पात विभाग	स्टील अर्थारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
7. डा. आर रमन्ना, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., इंडियन रेयर अर्थस लि., यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कुल 3)
8. श्री एस आर विजयकर, सचिव, इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग	सेमी कंडक्टर काम्प्लेक्स लि.
9. डा. एस. वरदराजन, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि.

(लोक उद्यम ब्यूरो का तारीख 21 जुलाई, 1984 का अ.शा. पत्र सं. 15(7)/83(जी.एम.)